न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर

अपील एल आर एक्ट संख्या 10/2021/भीलवाड़ा

1. शंकरलाल पुत्र देवीलाल
2. राधा उर्फ रामी पत्नि शंकरलाल

समस्त निवासी नाहरगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा

—अपीलांटस

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा दिनांक 3.12.2020 जो प्रकरण संख्या 42/2020 पारित किया गया।

———————————————

उपस्थित अभि0:— श्री जी0एस0 लखावत (अपीलांट अभि0)

श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

निर्णय दिनांकः—29.04.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नाहरगढ़ तहसील माण्डलगढ़ में खसरा संख्या 846/622 की 2 बीघा भूमि का आवंटन अपीलांट 1 व 2 के पक्ष में किया गया था। उक्त भूमि अपीलांट की गैर खातेदारी में अंकित की गई थी। अपीलांट द्वारा भूमि पर काश्त की जाती रही है। इस बीच पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार माण्डलगढ़ के द्वारा एक आवेदन अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा के न्यायालय में नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर सुनवाई करते हुए उन्होने अपने आदेश दिनांक 03.12.2020 से अपीलांट का आवंटन निरस्त करने का आदेश दिया। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील निम्न आधार पर प्रस्तुत की जा रही है—

1. अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.12.2020 न्याय ,नियम एवं विधि के तथ्यों के विपरित होने से निरस्त योग्य है।
2. आवंटन हुए लगभग 2 दशक का समय गुजर चुका है तथा मनमानी रिपोर्ट पर जो आदेश जारी किया गया उसे निरस्त किया जाये।
3. अपीलांट ने किसी प्रकार का कपट नहीं किया है, ना ही आवंटन के वक्त कोई मिथ्या सूचना उनके द्वारा दी गई है। आवंटन नियमानुसार हुआ है।
4. सन् 1970 के भूमि आवंटन नियम 14(3) को राज्य सरकार ने वर्ष 1999 विलोपित कर दिया। अतः सरकार की नीतियों के विरूद्ध उक्त आदेश को निरस्त किया जायें।
5. अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत सन् 2008 आरआरटी प्रथम पेज 610 पर दिये गये [illegible] दृष्टांत को नजरअंदाज करते हुए मनमाना आदेश पारित किया है जो [illegible] है।
6. अपील अंदर मियाद अवधि में प्रस्तुत की गई है अतः अपील को स्वीकार करते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.12.2020 को निरस्त करते हुए अपीलार्थीगण के पक्ष में किया गया आवंटन पुनः बहाल किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:58:53 IST
Reason: SelfAttested

अपील इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में पायी जाने से दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिसेज जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त किया गया।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.12.2020 की पालना व प्रभाव को स्थगित करते हुए वादग्रस्त भूमि के राजस्व अभिलेख की वर्तमान स्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारिते किये जाये।

अपील के साथ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 42/2020 के निर्णय दिनांक 03.12.2020 व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय प्रोसिडिंग संलग्न होकर प्राप्त हुई है।

सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम को देखा गया। दिनांक 03.12.2020 को अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 42/2020 में उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया था। दिनांक 27.01.2021 को उक्त अपील न्यायालय हाजा के रीडर द्वारा प्राप्त कर उनके द्वारा एण्डोर्समेंट किया जाना पाया गया। क्योंकि इस समय पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त चल रहा था। अतः इस अपील को अंदर मियाद ही माना जायेंगा।

बहस उभय पक्ष सुनी गई, अपीलांट की ओर से अभिभाषक घनश्याम सिंह लखावत तथा रेस्पो0 की ओर से आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। बहस में अपीलांट अभि0 द्वारा बताया गया कि खसरा नम्बर 846/622, 2 बीघा भूमि अपीलांट को 2004 में आवंटित भूमि हुई थी। अपीलांट को गैर खातेदार दर्ज किया गया था। साथ ही आक्षेप किया कि पटवारी द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है। वह प्रीटेंड फोर्म में थी। मौका रिपोर्ट बनाते समय हमें सूचित नहीं किया गया। मगर अन्य विरोधी वहां पहुंच गये। ए0डी0एम न्यायालय द्वारा आवंटन निरस्ती बाबत अकेला कारण कब्ज काश्त होना नहीं बताया। जबकि 1999 में ही भूमि आवंटन का नियम 14(3) हटा दिया गया है तथा अपीलांट के अलॉटमेंट के वक्त सन् 2004 में उक्त शर्त विलोपित हो चुकी थी। आवंटन को निरस्त करने संबंधित जो कारण बताये गये है। उसमें उसमें फ्रोड अथवा मिसरिप्रजेंटेंशन मुख्य या नियमों के विरूद्ध भूमि आवंटित की गई हो तो भूमि आवंटन निरस्त किया जा सकता है। गैर खातेदारी से खातेदारी बाबत नियम बने हुए है। पूर्व में 10 वर्षो के बाद तथा वर्तमान में 3 वर्षो के बाद गैर खातेदारी से खातेदारी में देने का नियम प्रचलित है। अतः ए0डी0एम न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश दिनांक 03.12.2020 निरस्त किया जायें।

राजकीय अभिभाषक ने आवंटन निरस्ती को उचित बताया तथा बहस के दौरान यह बताया कि पटवारी द्वारा सही रूप से मौका रिपोर्ट बनाई गई है तथा कब्जा काश्त न होने से आवंटन को निरस्त किया गया जो उचित है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय, न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया गया। बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। बहस के दौरान उठाये गये कानूनी बिन्दुओं पर विचार किया गया।

कृषि भूमि आवंटन नियम सन् 1970 का अवलोकन किया गया। नियम 14 में आवंटन की शर्तो का उल्लेख किया गया है। नियम 14(3) में लिखा हुआ है कि अलॉटी भूमि को काश्त के रूप में उपयोग लाएगा तथा भूमि का अच्छे उपयोग करेगा। नियम 14(4) में लिखा है कि कलक्टर को ऐसे किसी भी आवंटन को निरस्त करने का अधिकार होगा। जिसमें यह पाया गया हो कि आवंटी द्वारा फ्रोड या मिसरिप्रेजेंटेशन या नियम के विरूद्ध आवंटन से भूमि प्राप्त की हो या आवंटन की किसी शर्त का उल्लघन किया हो। मगर ऐसा कोई भी आवंटन बिना आवंटी को सुने निरस्त नही किया जायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:38:53 IST
Reason: Self Attested

खसरा गिरदावरी जिसमें संवत का उल्लेख नहीं किया हुआ है मगर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें खसरा नम्बर 846/622 भूमि किस्म बंजर कॉलम नम्बर 5 में गैरखातेदार अपीलांट का नाम लिखा हुआ है। तथा कॉलम नम्बर 16 में न जोते गये क्षैत्रफल का ब्यौरा अंकित है। इसमे 2 बीघा लिखा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलांट को खसरा नम्बर 622 में 2 बीघा भूमि किस्म बंजर आवंटित की गई थी। उक्त कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन आदेश दिनांक 03.12.2004 के बिन्दु नम्बर 7 आवंटन की शर्तो में बिन्दु नम्बर 3 में यह अंकित किया हुआ है कि आवंटिती को आवंटन के एक वर्ष के भीतर कम से कम 50 प्रतिशत में तथा दूसरे वर्ष में सम्पूर्ण भूमि काश्त योग्य बनायें। गिरदावरी के अवलोकन एवं रिपोर्ट पटवारी, तहसीलदार द्वारा ए0डी0एम न्यायालय भीलवाड़ा में प्रस्तुत प्रकरण संख्या 343/2019 से स्पष्ट है कि प्रार्थी गैर खातेदार का आवंटन के बाद से कोई कब्जाकाश्त नहीं रहा। अपीलांट चाहता तो न्यायालय ए0डी0एम भीलवाड़ा द्वारा न्यायालय हाजा में कब्जे के प्रमाण के स्वरूप गिरदावरी की रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपने कब्जेकाश्त बाबत जानकारी दे सकता था मगर उसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। जबकि भूमि उसे काश्त करने के लिए ही दी गई थी। आवंटन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि काश्त करने बाबत शर्त अपीलांट द्वारा पूरी नहीं की गई थी। इसी आधार पर उक्त आवंटन निरस्त किया गया था। वकील अपीलांट की इस बात से की 1999 मे ही 14(3) हटा दी गई थी। मगर आवंटन आदेश की शर्त मे कब्जेकाश्ता बाबत उल्लेख किया हुआ है। ऐसी अवस्था में न्यायालय ए0डी0एम भीलवाड़ा द्वारा दिया गया आदेश दिनांक 03.12.2020 यथावत रखा जाना उचित होगा, अपील सारहीन होने से खारिज की जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा(प्रकरण संख्या 42/2020) दिनांक 03.12.2020 सारहीन होने से खारिज की जाती है। अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा का आदेश दिनांक 03.12.2020 यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 29.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाता है।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:38:53 IST
Reason: SelfAttested